भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1060

(जिसका उत्तर सोमवार, 10 फ़रवरी, 2025/ 21 माघ, 1946 (शक) को दिया जाना है)

उच्चतम न्यायालय के निर्णय का हिंदू अविभाजित परिवार (एचयूएफ) कर लाभों पर प्रभाव

1060. श्री असादुद्दीन ओवैसी:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उच्चतम न्यायालय के हाल ही के उस निर्णय की ओर ध्यान दिया है जिसमें मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा कर कानूनों के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप पर बल देते हुए कैथोलिक पादरियों के लिए आयकर छूट को समाप्त करने के निर्णय का समर्थन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने आयकर अधिनियम के अंतर्गत हिन्दू अविभाजित परिवारों (एचयूएफ) की कर व्यवस्था पर निर्णय के निहितार्थों का आकलन किया है;

(ग) क्या सरकार न्यायपालिका द्वारा यथा उल्लिखित कर कानूनों की समान प्रयोज्यता के सिद्धांत के आलोक में हिन्दू अविभाजित परिवारों को दिए गए अधिमानी कर लाभों की समीक्षा करने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) धार्मिक स्वतंत्रता की संवैधानिक गारंटियों की रक्षा करते हुए सभी समुदायों के लिए समान कर नीतियां सुनिश्चित करने के लिए किन उपायों पर विचार किया जा रहा है?

उत्तरः

वित्त राज्य मंत्री
(श्री पंकज चौधरी)

(क)

माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय ने भारत संघ बनाम द सोसाइटी ऑफ मैरी इमैक्युलेट (तमिलनाडु) मामले में, माननीय मद्रास उच्च न्यायालय के दिनांक 20.03.2019 के निर्णय का समर्थन किया है।

माननीय मद्रास उच्च न्यायालय ने माना है कि ऐसे शिक्षक, जो नन या मिशनरी या धार्मिक समूह के सदस्य हैं, जो ईसाई धार्मिक संस्थानों द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थानों में अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं, को सीधे वेतन के रूप में भुगतान करते समय राज्य सरकारें आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 192 के अंतर्गत स्रोत पर कर (टीडीएस) काटने के लिए बाध्य हैं।

इसके अतिरिक्त आयकर अधिनियम की धारा 10 (23 ग)(v) के अनुसार, आयकर से छूट किसी भी ऐसे ट्रस्ट या संस्था की आय को प्रदान की जाती है, जो पूरी तरह से सार्वजनिक धार्मिक प्रयोजनों या पूरी तरह से सार्वजनिक धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए होते हैं, जिसे प्रधान आयकर आयुक्त या आयुक्त द्वारा, इस शर्त के अधीन अनुमोदित किया जाता है कि उससे प्राप्त आय को उसके उद्देश्यों के लिए उचित रूप से उपयोग किया जाएगा।

(ख)

भाग (क) के उत्तर के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

(ग), (घ) और (ङ)

वर्तमान में, इस संबंध में कोई समीक्षा या प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

****